

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

पत्रांक-6/ब0गै0यो0-01-54/2015गृ0आ0..... पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना के मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष 109-जिला पुलिस, उपशीर्ष 0001-जिला कार्यकारी दल, विषय शीर्ष 13 04-विद्युत प्रभार तथा विपत्र कोड N2055001090001 के अंतर्गत संभावित बचत राशि में से इसी मुख्य शीर्ष के उप मुख्यशीर्ष 00, लघु शीर्ष 104-विशेष पुलिस, उपशीर्ष 0004-आतंकवाद निरोधक दस्ता, विषय शीर्ष 13 01-कार्यालय व्यय, विषयशीर्ष 13 03-दूरभाष, 13 04-विद्युत प्रभार एवं 13 06-वर्दी/पोशाक तथा विपत्र कोड N2055001040004 के अंतर्गत क्रमशः ₹ 7,00,000, ₹ 2,00,000, ₹ 2,00,000 एवं ₹ 4,00,000 यानि कुल ₹ 15,00,000 (पन्द्रह लाख रू0) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :- बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-489 के अधीन पुनर्विनियोग स्वीकृत।

अनु0 :- अनुसूची।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0-6/ब0गै0यो0-01-54/2015 गृ0आ0.....127.....पटना, दिनांक 11/1/16

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा-5), पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (बजट, अपील एवं कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

AMV

28/11/15

सरकार के प्रधान सचिव